न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) — जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 118/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री ओंकार मल सिरवी, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरीराम शर्मा निवासी केड हाउस, सरोज सिनेमा के पास, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. मालिक फर्म खोडवाल ब्रदर्स बी–9, न्यू कालोनी, पांचबत्ती, जालुपुरा, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 21.08.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री ओंकार मल सिरवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 10.08.2001 को मय जांच दल के न्यू कॉलोनी, गोपीनाथ मार्ग पर जाकर फर्म खण्डेलवाल ब्रदर्स पर पहुंचे। मौके पर फर्म मालिक मिले जिनकी उपस्थिति में फर्म पर जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर 5 किग्रा. के 33 सिलेण्डर (समरकिंग बजाज मार्का) और 2 किग्रा. के 72 सिलेण्डर (बजाज) भण्डारित किये पाये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रकरण में दिनांक 27.05.2003 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर ने निर्णय पारित कर जब्त माल को राजसात करने का आदेश दिया। तत्पश्चात दिनांक 23.02.2007 को माननीय न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (सती निवारण) राज0 एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जयपुर ने निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2003 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि इस मामले में आवश्यक जांच करने के पश्चात पक्षकारान को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 03.04.2023 को जिला रसद अधिकारी एवं आईओसी से प्राप्त संयुक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि कम्पनी के किसी भी बोटलिंग प्लांट द्वारा नोन आईएसआई सिलेण्डर में एल.पी.जी. गैस नहीं भरी जाती है। जब्त सिलेण्डर सरकारी तेल कम्पनी के नहीं है। बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के गैस रिफिलिंग किया जाना प्रतिबन्धित है। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक बहस में नियत रहने के दौरान अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण में से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 21.08.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन किया, माननीय न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 10.08.2001 को जब्त सिलेण्डरों द्वारा अवैध रुप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। अप्रार्थीगण ने जब्त सिलेण्डरों से संबधित कोई भी दस्तावेज मौके पर व आज दिनांक तक पेश नहीं किये। जिला रसद अधिकारी व आईओसी की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रिफिलिंग में काम में ली जा रही गैस कम्पनी से ना खरीदकर कहीं ओर से अवैध रुप से खरीदी जा रही थी। मौके पर एक बिल बुक मिली जिसमें गैस रिफिलिंग कराने के चार्ज के बिल जारी किये हुये थे, जिससे भी अप्रार्थीगण द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग किये जाने की पुष्टि होती है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। साथ ही माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार सुनवाई का अवसर दिये जाने पर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 5 किग्रा. के 33 सिलेण्डर और 2 किग्रा. के 72 सिलेण्डर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।